फर्द अहकाम

छीतर बनाम सूखा वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 25/2020

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07.02.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम चक मनोहरपुर पटवार क्षेत्र लखेर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चंदवाजी तहसील आमेर जिला जयपुर कृषि भूमि खाता संख्या नया 63 पुराना 47 में खसरा नम्बर 320 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 330/865 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 323/863 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324 रकबा 0. 63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.65 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 2.85 हैक्टेयर पर प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जो राजस्व जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम दर्ज व अंकित है। खसरा नम्बर 320, 330/865 की भूमि इस विवादग्रस्त भूमि है। प्रार्थीगण अर्से दराज से अन्य सहखातेदारों के साथ पारस्परिक मनबंट के आधार पर खसरा नम्बर 320, 330/865 वगैरह पर काबिज काश्त हैं एवं अर्से दराज से उपयोग उपभोग करता चले आ रहे हैं। लेकिन अप्रार्थीगण बाहुबल एवं आर्थिक रूप से प्रार्थीगण से अधिक मजबूत होने के कारण प्रार्थीगण की उक्त भूमि में नाहक प्रवेश कर प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने पर आमादा हैं व जबरन प्रार्थीगण की उक्त भूमि को हडप करने की कुचेष्टा से प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर बनी कच्ची मेड को तोडकर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल करने तथा जबरन प्रार्थीगण की भूमि में प्रवेश कर भूमि के स्वरूप को परिवर्तन करने पर आमादा हो रहे है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नही हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 320 के अडवा मिन अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि प्रार्थीगण की भूमि के लगती हुई है। उक्त भूमि के मध्य में कई वर्षो पुरानी सीमा डोल स्थित है। तथा खसरा नम्बर 330/865 रकबा 0.13 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण का कोई सम्बंध व सरोकार नही है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व अंकित है अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बंध व सरोकार नही है। लेकिन जबरन उक्त भूमि में मजाहमत करने के उद्देश्य से प्रार्थीगण को हैरान व परेशान कर रहे है। पिछले कुछ वर्षो में जयपुर शहर के नजदीक कस्बें की कृषि भूमियों के बाजार मूल्य में जबरदस्त उछाल आया है जिससे अप्रार्थीगण विवादग्रस्त कृषि भूमि पर येनकेन प्रकारेण कब्जा करने की व अतिक्रमण करने की ताक में है तथा निर्माण कार्य करने पर उतारू हो रहे है। वादी से झगडा फसाद कर वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर वादी को बेदखल करने पर उतारू है। दिनांक 24-07-2020 को प्रार्थीगण अपने खेतो की देख रेख कर रहे थे तब अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि [illegible] मजाहमत करने की कुचेष्ठा से भूमि की सीमा [illegible] आकर बैठ गये तथा ट्रोली में कुछ पत्थर [illegible] वादी [illegible] भूमि पर डालने लगे इस पर वादी ने अप्रार्थीगण को बुलाकर बातचीत की और इस संबंध में जानकारी करनी चाही तो उन्होने कहा कि इस [illegible] की डोल को तोडकर पुराने सीमा चिन्हों को नष्ट कर करके पत्थर गाढेगें क्योंकि इसमें हमारी जमीन आती है। तथा इस भूमि पर निर्माण कार्य करवायेगें। वादी ने जब उन्हें इस तरह वादी की इजादत बिना अवैध कृत्य के लिये इन्कार किया कि किसी प्रकार का निर्माण कि तो ठीक नही होगा व मिट्टी के डोल को नही तोड सकते तो अप्रार्थीगण ने वादी को साथ भला बुरा कहने लगे व	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.20 14:56:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

छीतर बनाम सूखा वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या: 25/2020

धमकी दी कि तुम में दम है तो हटा लेना तुम्हारे मिट्टी के डोल को तोड़कर रहेगें। अप्रार्थीगण संगठित व खूंखार प्रवृत्ति के व्यकित है पैसे व ताकत के बल यदि प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को हडपने व उस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने एवं वर्षो पुरानी सीमा चिन्हों को समाप्त करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपने वैधानिक अधिकारो का हनन व अपूर्वतनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में .किसी भी सूरत मे नही हो सकेगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

बहस प्रार्थी पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हमने पाया कि वादी उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व अंकित है अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बंध व सरोकार नही है। लेकिन जबरन उक्त भूमि में मजाहमत करने के उद्देश्य से प्रार्थीगण को हैरान व परेशान कर रहे है। जिन्हें पाबंद किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.07.2020 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.20 14:56:01 IST
Reason: SelfAttested